सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2023

(जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023)

आ नो भद्राः... राजस्थान राज्य सूचना आयोग

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

www.ric.rajasthan.gov.in

RIGHT TO INFORMATION

The Logo of Right to Information

A sheet of paper with information on it and the public authority behind it, providing the information. This represents people's empowerment through transparency and accountability in governance.

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष-2023

(जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023)

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

www.ric.rajasthan.gov.in

अनुक्रम

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1—2
2.	विशिष्ट अदालत	3
3.	तकनीकी परिवर्तन	4
4.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	5—17
5.	अधिनियम का क्रियान्वयन	18—20
6.	संप्रेषण	21—25
7.	परिशिष्ट	26—42

अध्याय — 1

प्रस्तावना

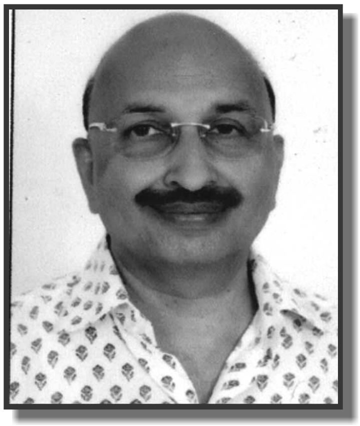

श्री डी.बी. गुप्ता
(मुख्य सूचना आयुक्त)

श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़
(सूचना आयुक्त)

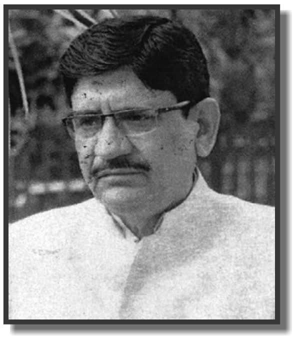

श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़
(सूचना आयुक्त)

श्रीमती शीतल धनखड़
(सूचना आयुक्त)

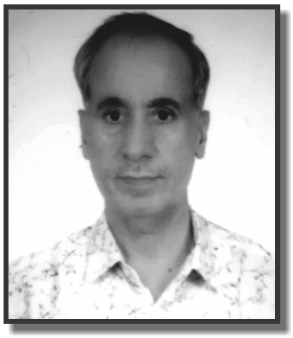

श्री मोहनलाल लाठर
(सूचना आयुक्त)

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि **'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता'** प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है कि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त कर अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी अपेक्षा की गई है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे इस अधिनियम के माध्यम से, सौहाद्रपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशलतापूर्वक कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं ? इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्यकलाप एवं लेखा–जोखा की पारदर्शिता नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था है, अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर था। इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण, नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में नवीनता का संचार हुआ है।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में लोकसभा में सूचना का अधिकार विधेयक पेश हुआ। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धारा 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई। इस अधिनियम के शेष उपबंध अधिनियमन के 120वें दिन लागू हुए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती–राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, लागू है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। सूचना के अधिकार को इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् शासन–प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है, वहीं आम नागरिकों में भी जागरूकता की भावना बलवती हुई है।

अध्याय – 2

विशिष्ट अदालत

राज्य सूचना आयोग में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 12385 द्वितीय अपील एवं 1738 परिवाद लम्बित थे। आयोग द्वारा औसतन प्रतिमाह लगभग 1753 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

सबसे पुराने लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के उद्देश्य से इस वर्ष भी विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 की प्रथम विशिष्ट अदालत 11 मार्च 2023 को आयोग मुख्यालय, जयपुर पर आयोजित की गई। इसमें भरतपुर संभाग से संबंधित 261 प्रकरणों में से 260 प्रकरणों (99.61%) का निस्तारण किया गया।

इसके पश्चात् आयोग मुख्यालय पर प्रतिमाह एक शनिवार को अवकाश के बावजूद विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया गया, इससे नियमित कार्यालय दिवसों के अतिरिक्त प्रतिमाह एक अतिरिक्त दिन सबसे पुराने प्रकरणों को सुनवाई हेतु निर्धारित कर उनका निस्तारण किया गया।

माह मार्च, 2023 से माह अक्टूबर, 2023 तक 08 माह में कुल 2444 सबसे पुराने प्रकरणों का निस्तारण कर आयोग के सभी न्यायालयों में लम्बित सन् 2022 व इससे पूर्व के सभी प्रकरणों को निस्तारित कर दिया गया।

अब आयोग में चालू वर्ष 2023 में ही दर्ज प्रकरण लम्बित है। आयोग के इस नवाचार व उपलब्धि को सभी वर्गों व मुख्य सूचना आयुक्तों की तिमाही होने वाली बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्तों द्वारा सराहा गया तथा अनुकरणीय माना।

अध्याय – 3

तकनीकी परिवर्तन

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन अपीलों व परिवादों को दर्ज करने की सुविधा हेतु आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 काम में लिया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से द्वितीय अपील/परिवादों को दर्ज किया जा रहा है। वर्ष 2023 (1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2023) में कुल दर्ज प्रकरण 14762 थे उनमें से 3868 प्रकरण (26.20 प्रतिशत) ऑनलाइन दर्ज हुये।

ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच भी ऑनलाइन ही की जा रही है तथा कमियां प्राप्त होने पर ऑनलाइन ही आवेदक को अवगत कराया जा रहा है। कमी की पूर्ति होने पर ऑनलाइन द्वितीय अपील/परिवाद दर्ज किये जा रहे है। ऑनलाइन दर्ज द्वितीय अपील/परिवाद के नोटिस/निर्णय भी, प्रार्थी/लोक सूचना अधिकारी अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं।

आयोग द्वारा लोकहित में वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था भी प्रारम्भ कर दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 360/2021 किशन चन्द जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिये निर्णय दिनांक 09.10.2023 के क्रम में सम्पूर्ण भारत के सूचना आयोगों को हाईब्रिड सुनवाई व्यवस्था अर्थात् व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ ही वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये है। माह नवम्बर–दिसम्बर, 2023 में पांचों न्यायालयों के चुनिन्दा 20 प्रकरणों में वर्चुअल सुनवाई की गई। साथ ही सभी अपीलकर्ता व परिवादियों से वर्चुअल सुनवाई का विकल्प प्रथम नोटिस से ही मांग लिया जाता है। वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था हो जाने से प्रार्थी/लोक सूचना अधिकारी को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय, श्रम व कागजी दस्तावेज आदि की बचत होगी तथा त्वरित न्याय की अवधारणा व पारदर्शिता बढ़ेगी।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत् राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। राज्य के प्रथम, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 01.09.2010 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम.डी. कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.04.2011 को पूर्ण हुआ, तत्पश्चात् द्वितीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को, दिनांक 05.09.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल को माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् तृतीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री सुरेश चौधरी तथा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री चन्द्रमोहन मीना एवं श्री आशुतोष शर्मा को दिनांक 06.11.2015 को राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल का कार्यकाल दिनांक 04.08.2016 को पूर्ण हुआ। दिनांक 03.10.2018 को दो सूचना आयुक्त श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़ एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़ ने पदभार ग्रहण किया। श्री सुरेश चौधरी का कार्यकाल दिनांक 25.12.2018 को पूर्ण हुआ। दिनांक 10.04.2019 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर श्री चन्द्रमोहन मीना सूचना आयुक्त पद से कार्यमुक्त हुए। श्री आशुतोष शर्मा का कार्यकाल दिनांक 05.11.2020 को पूर्ण हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री डी.बी. गुप्ता, सूचना आयुक्त के रूप में श्री नारायण बारेठ एवं सूचना आयुक्त के रूप में श्रीमती शीतल धनखड़ ने दिनांक 11.12.2020 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री नारायण बारेठ का कार्यकाल दिनांक 30.09.2022 को पूर्ण हुआ। श्री मोहनलाल लाठर ने दिनांक 16.01.2023 को सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़ का कार्यकाल 14.08.2023 को पूर्ण हुआ है। श्री लक्ष्मण सिहं राठौड़ का कार्यकाल 02.10.2023 को पूर्ण हुआ। श्री डी.बी. गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त एवं श्रीमति शीतल धनखड़ सूचना आयुक्त का कार्यकाल 10.12.2023 को पूर्ण हुआ। आयोग एक वैधानिक निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

(ब) संगठनात्मक ढाँचाः–

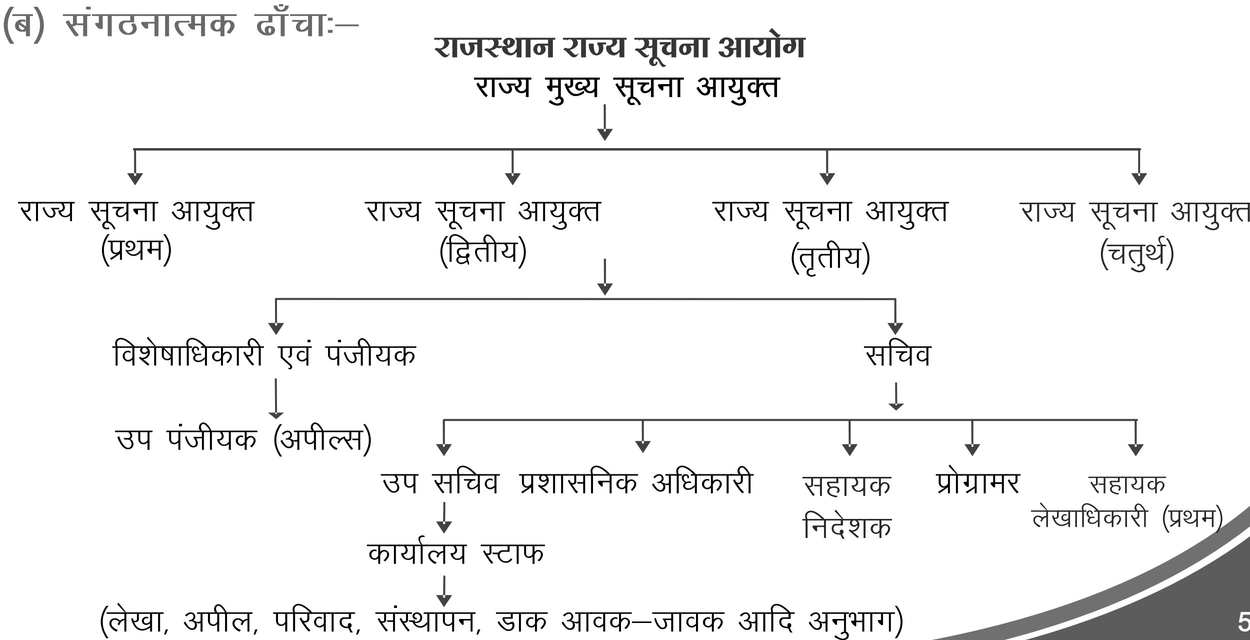

(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 एवं 25 में सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की सफल क्रियान्विति के लिए लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये गये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का विवरणः–

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ:– आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं–

(क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।

(ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जहां यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जाँच करने के लिये युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जाँच आरम्भ कर सकेगा।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जाँच करते समय आयोग में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण वह सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कार्यवाही करने में सक्षम है :–

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना;

(ड़) साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच में लोक प्राधिकरण के नियंत्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही क्यों न सम्मिलित हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग में निहित है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में विनिश्चय प्राप्त किया गया था, या निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं होने अथवा विनिश्चय से असंतुष्टि की स्थिति में, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये, विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है, आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति अधिरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयुक्त की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण –

(क) सूचना का आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना के आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना के आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250/– प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो अधिकतम रुपये 25000/– हो सकती है।

शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिए विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा।

(4) अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना :–

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :–

(1) सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्;

(2) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में;

(3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाने के संबंध में;

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में;

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में;

(6) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;

(7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के संबंध में;

(8) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में;

(9) आवेदन को नामंजूर करने के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती हैः–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(5) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(6) सुधार के लिए सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हें सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :–

आयोग को वर्ष 2023–24 के लिए राशि रू. 694.00 लाख ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटित की गई है। जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2023 तक राशि रू. 510.00 लाख का व्यय हुआ।

(6) कार्यालय :–

आयोग का कार्यालय, आयोग के गठन से, माह अक्टूबर, 2006 तक योजना भवन में एवं माह नवम्बर, 2006 से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) में संचालित रहा। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात्, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19.4.2013 को किया गया तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2013 से आयोग का कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :–

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।

(8) क्रियान्विति :–

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 व धारा 25 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवश्यक कदम उठाये हैं। राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग अठारह वर्ष की अवधि में पूरे राज्य में लोक प्राधिकरणों को अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत करने व तद्नुरूप कार्य करवाने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन–जन तक पहुँचाया है। इसी प्रभावशाली प्रचार–प्रसार का ही यह परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों

में जागरूकता आई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को 1738 परिवाद एवं 12385 द्वितीय अपीलें लम्बित थी।

वर्ष 2023 (दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023) में ''सूचना के अधिकार'' को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

परिवादों का मासिक विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
31 दिसम्बर, 2022			1738
जनवरी, 2023	144	91	1791
फरवरी, 2023	87	108	1770
मार्च, 2023	84	114	1740
अप्रेल, 2023	81	144	1677
मई, 2023	181	174	1684
जून, 2023	189	234	1639
जुलाई, 2023	192	229	1602
अगस्त, 2023	153	211	1544
सितम्बर, 2023	112	246	1410
अक्टूबर, 2023	400	279	1531
नवम्बर, 2023	212	98	1645
दिसम्बर, 2023	128	98	1675
योग	**1963**	**2026**	

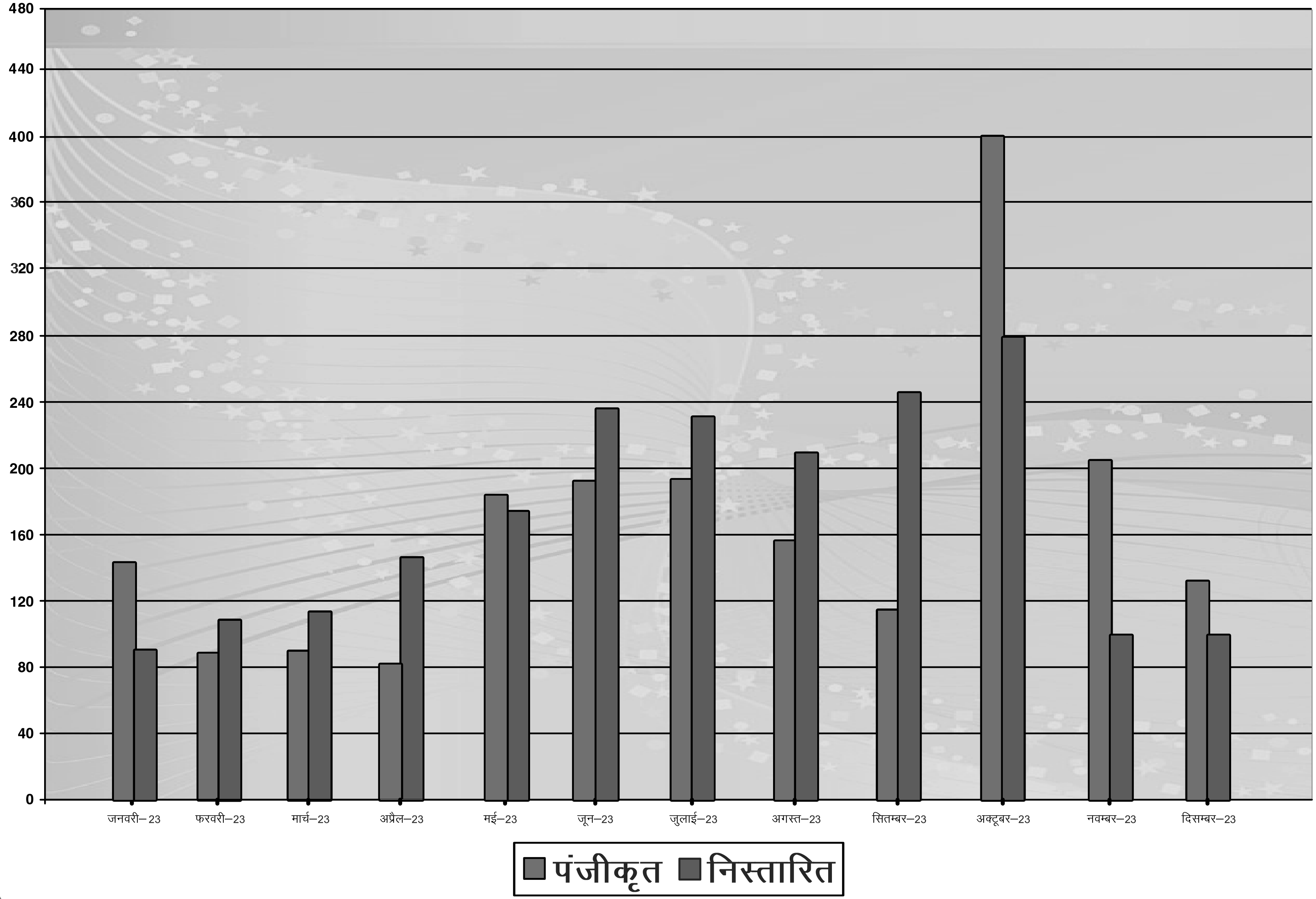
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
जनवरी–23
फरवरी–23
मार्च–23
अप्रैल–23
मई–23
जून–23
जुलाई–23
अगस्त–23
सितम्बर–23
अक्टूबर–23
नवम्बर–23
दिसम्बर–23
पंजीकृत
निस्तारित

परिवादों का विवरण

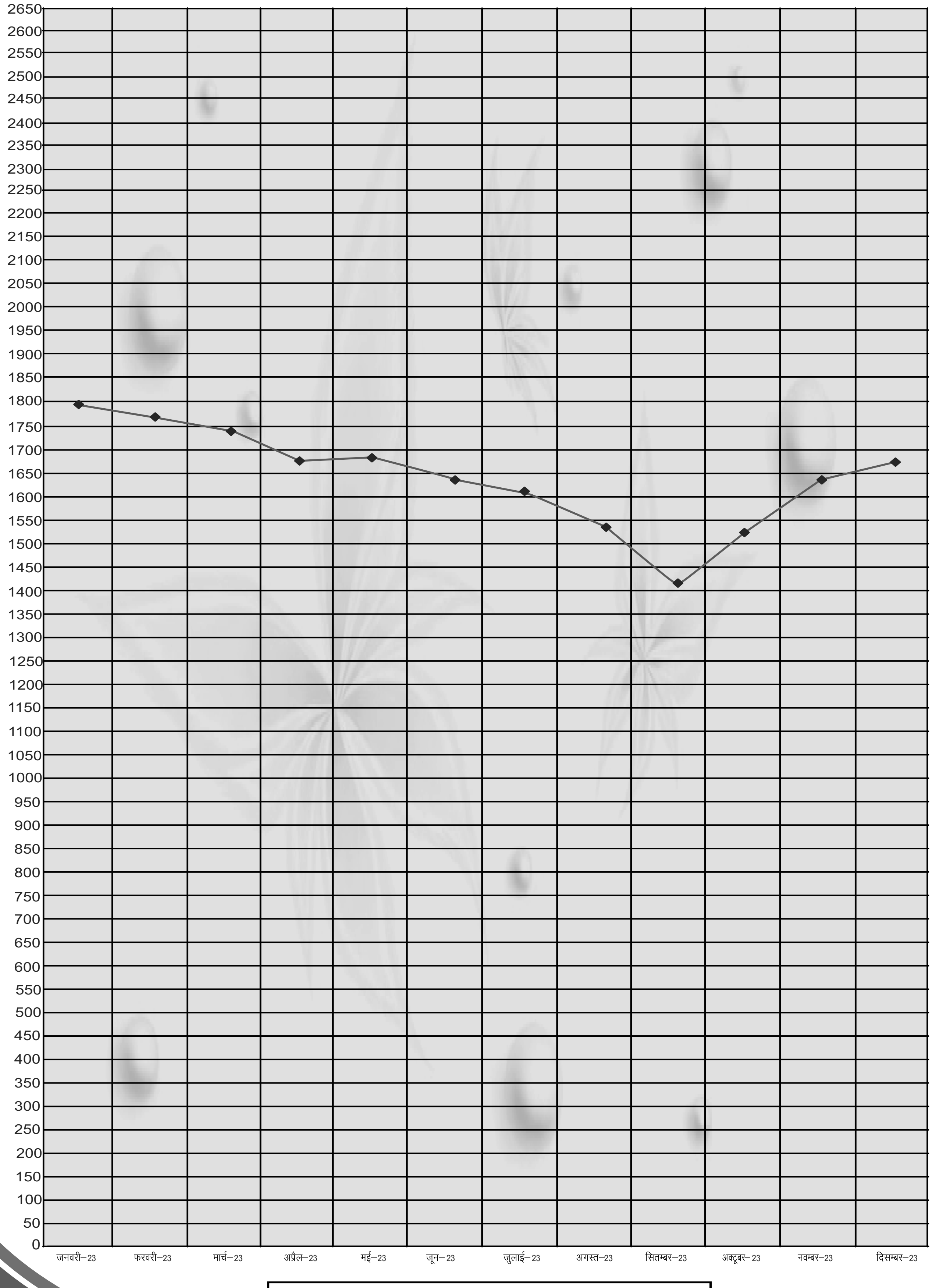

लम्बित परिवादों का विवरण

द्वितीय अपीलों का मासिक विवरण

माह	माह के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
31 दिसम्बर, 2022			12385
जनवरी, 2023	857	1260	11982
फरवरी, 2023	900	1757	11125
मार्च, 2023	820	1573	10372
अप्रेल, 2023	925	1416	9881
मई, 2023	1791	1915	9757
जून, 2023	1334	1742	9349
जुलाई, 2023	1127	1738	8738
अगस्त, 2023	925	1656	8007
सितम्बर, 2023	735	1170	7572
अक्टूबर, 2023	945	1760	6757
नवम्बर, 2023	1203	1870	6090
दिसम्बर, 2023	1237	1155	6172
योग	12799	19012	

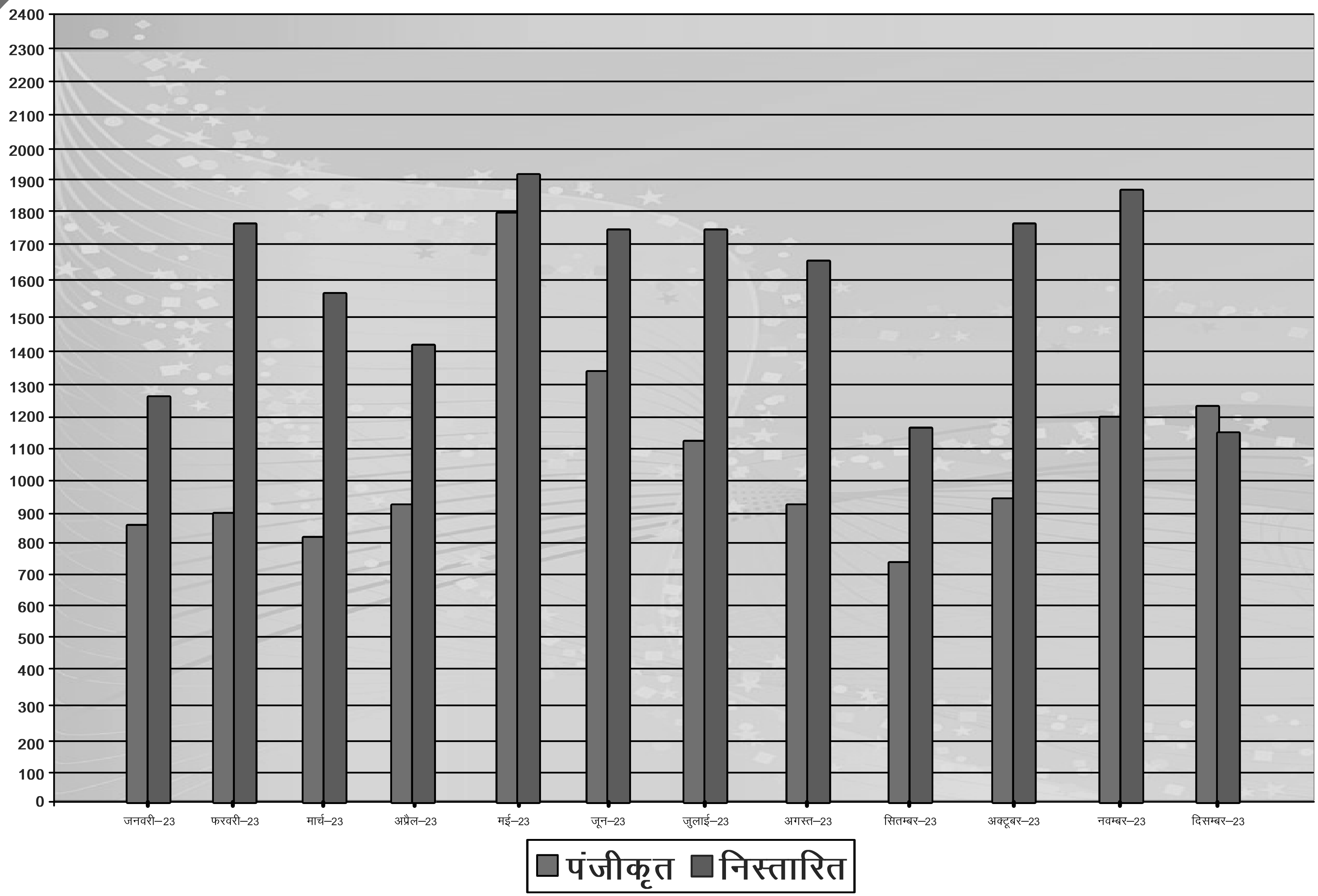

द्वितीय अपीलों का विवरण

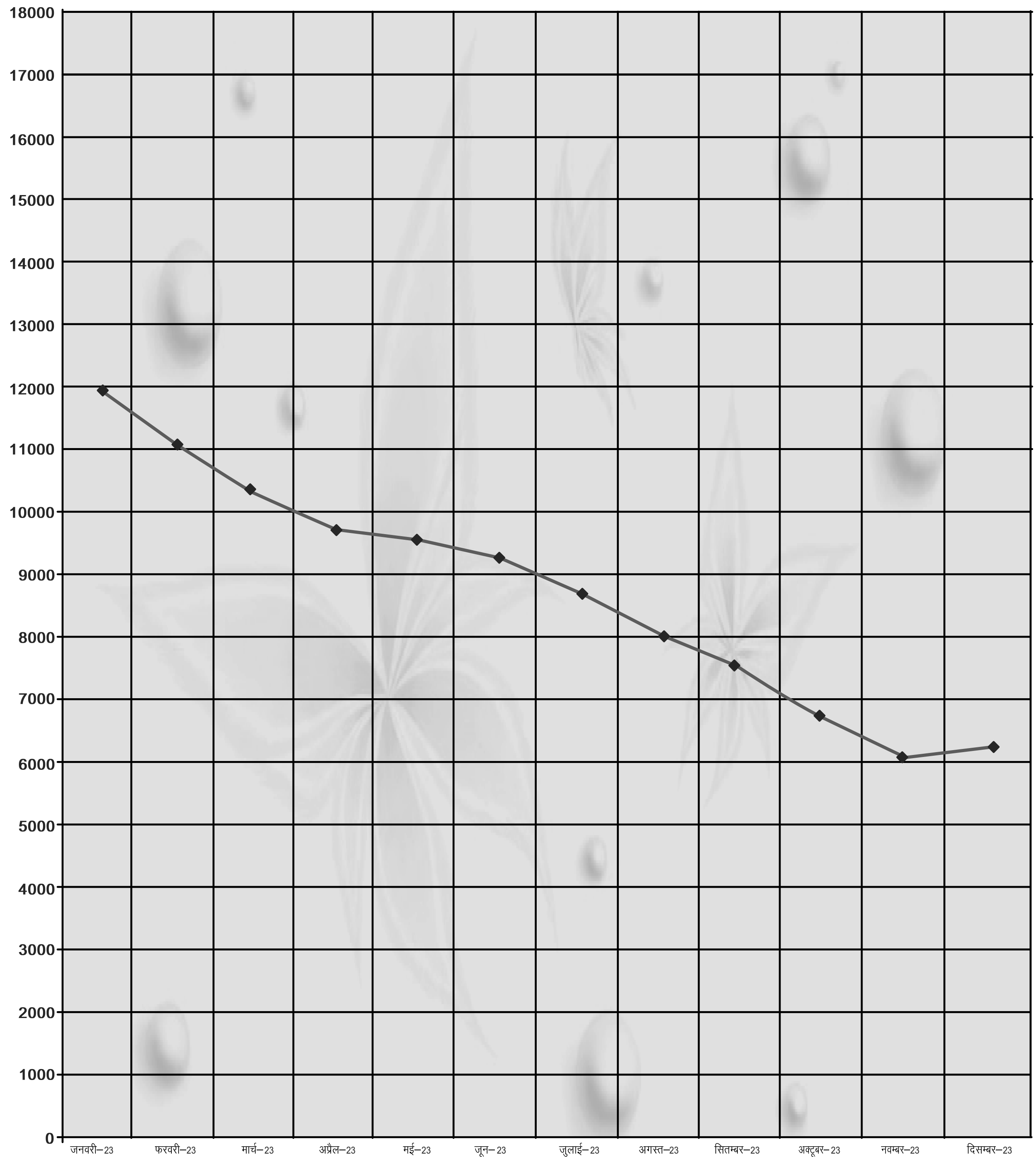

लम्बित द्वितीय अपीलों का विवरण

(9) लोक सूचना अधिकारी :– पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने–अपने विभाग के लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदाविहित करने के निर्देश दिये गये। लगभग सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

''सूचना का अधिकार'' कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थाएं हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं।

सूचना का अधिकार पोर्टल 2.0 को सुचारू रूप से राज्य लोक सुचना अधिकारियों द्वारा संचालित नहीं किए जा सकने के कारण संबंधित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारियों के लिए मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य सूचना आयोग में दिनांक 25.05.2023 से 26.06.2023 तक उपरोक्त पोर्टल को सुचारू रूप से समझने व चलाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य लोक सूचना अधिकारियों व उनके सहयोगी कार्मिकों को उपरोक्त पोर्टल को सूचारू रूप से चलाने का मौखिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रतिदिन आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, प्रथम अपीलो व द्वितीय अपीलो का निस्तारण नियमानुसार कैसे किया जाए, यह प्रशिक्षण भी संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को दिया गया।

(10). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2023 (माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक) में अधिरोपित शास्ति, लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं इसके विरुद्ध जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	शास्ति (रुपयों में)		क्षतिपूर्ति (रुपयों में)	
	अधिरोपित	प्राप्त राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
द्वितीय अपील / परिवाद जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023	20,60,500	15,84,233	1,42,009	–
योग	20,60,500	15,84,233	1,42,009	–

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :–

सूचना आयोग के निर्णयानुसार अधिरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई जाती है, अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को पत्र लिखे गये। प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को, शास्ति राशि जमा कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु समय–समय पर शासकीय / अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये हैं।

इसके अतिरिक्त शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली / अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (audit para) के रूप में सम्मिलित किये जाने के क्रम में आयोग के सुझाव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर निर्देश जारी किये गये हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक अधिरोपित शास्ति एवं प्राप्त राशि तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण :–

विवरण	अधिरोपित शास्ति राशि	प्राप्त शास्ति राशि	लगाई गई क्षतिपूर्ति राशि	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि
1	2	3	4	5
द्वितीय अपील / परिवाद (31 दिसम्बर, 2023 तक)	5,43,60,250	2,65,39,074	10,94,409	5,42,000

नोट :– इस प्राप्त शास्ति राशि में कमशः 15,84,233 / – वर्ष 2023 (जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023) की है, शेष राशि पूर्व वर्षों की है।

अध्याय – 5

अधिनियम का क्रियान्वयन

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्पूर्ण देश में लागू होने के उपरान्त राजस्थान राज्य ने **'राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005'** दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व द्वितीय अपीलों का पंजीकरण, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही, लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में आयोग कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे0 एल0 एन0 मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है, जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.06.2013 को वर्तमान भवन में स्थानान्तरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारी व उनके प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के ग्राम विकास अधिकारी/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध

संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें, जहाँ प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञात हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करनी है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को अद्यतन कर उसका प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाने पड़ें। कई विभागों ने विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर वितरित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। विभागाध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उनके विभाग में प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों का विहित समयावधि में निस्तारण/निर्णय हो। इसके साथ–साथ आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों में पारित आदेशों की पालना भी सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति **परिशिष्ट** पर अंकित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू होने के लिये आवश्यक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में आम नागरिकों को सहज एवं सुलभ जानकारी हो। जिला कलक्ट्रेट प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में ''सूचना का अधिकार'' की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनावें एवं इसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से अद्यतन (up-date) करने की कार्यवाही करावें।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने के उपरांत, वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का ताना–बाना लिये अधिकारियों की सोच में परिर्वतन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात् इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति उत्साहवर्धक है।

अध्याय – 6

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून, 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात् लगभग अठारह वर्ष का समय, यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाइयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्ही चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है :–

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है, इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचनाओं की माँग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है।
4. सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे, इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। लगभग अठारह वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी, हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश

होना आज की पहली आवश्यकता है। सूचना का अधिकार के प्रति सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा सकारात्मक मानसिकता के लिए और प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है।

6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर तक, जिनका इस अधिनियम के अन्तर्गत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है जिसके अभाव में, उनका इस विषय का आदिनांक तक ज्ञान अधूरा सा है, इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन लोक सूचना अधिकारीगण से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नही दे रहे हैं। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय के लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का, वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है। राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस पर भी लोक सूचना अधिकारीगण सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित नहीं होकर अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। अतः इस मामलें में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।

8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी होता है। प्रायः व्यवहारिक तौर पर यह देखने में आया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों में पर्याप्त संख्या में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त नहीं हैं। अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसे प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपीलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण प्रथम अपीलों में उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय प्रायः गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं अथवा उनका निस्तारण निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है, साथ ही प्रथम अपीलों में पारित निर्णयों की समुचित क्रियान्विति नहीं होने से अपीलार्थी को विवश होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलें/परिवाद दायर करने पड़ रहे हैं। चूंकि प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है, अतः प्रथम अपील का समय पर निर्णय एवं उनके निर्णय की पालना करवाया जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व

प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मॉनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है, जो अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस डेडीकेटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में, जिला कलक्टर कार्यालय में समय–समय पर जिले के अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी) की बैठक रखी जावे। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जावे, जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ–साथ राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील प्राधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ ''हस्तपुस्तिका'' तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है, जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।

10. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाइट'' पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध करवाई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन 'वेबसाइट्स' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर अद्यतन (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है, तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है। धारा 4(1) के तहत स्वैच्छिक पारदर्शिता के प्रति सरकारी विभाग अधिक सकारात्मक एवं सक्रिय रहेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग की आवश्यकता ही न्यून होगी। इससे पारदर्शिता से सुशासन का उद्देश्य ही पूर्ण होगा। प्रदेश में

जनसूचना पोर्टल की शुरूआत कर उसमें अधिनियम की धारा 4(2) के तहत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा उसमें लाभार्थियों के विवरण को सही समय पर सार्वजनिक किया जाना अच्छी पहल है। इसमें अन्य सूचनाओं को जोड़कर इसका दायरा बढ़ाना समय की मांग है।

11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हैं, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाऐं हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इन संस्थाओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना करनी चाहिये।

12. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने ''रिकॉर्ड्स'' का सही रख–रखाव नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिए राजस्थान में भी, भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।

जैसे–जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारीगण/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोत्तर विकास होगा, जो प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

13. दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व चार सूचना आयुक्त सहित 84 पद स्वीकृत है। इनमें से 76 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। 8 पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, की धारा 16(6) के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों, अतः आयोग में बढ़ते कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रभावी कार्य किये जाने हेतु राज्य सरकार

को आयोग में कार्मिकों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती नियम बनाने हेतु सुझाव दिनांक 15.01.2013 को प्रेषित किये गये हैं जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। इनका शीघ्र अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित है। साथ ही अंतरिम काल में राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये जिससे आयोग का काम सुगमता से संचालित हो।

14. आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों/परिवादों में अधिरोपित शास्ति जमा कराने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। विभागों/लोक प्राधिकरणों से बार–बार पत्राचार करना पड़ता है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों (Supervisory officers) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बिन्दुओं को समीक्षा एजेण्डा में शामिल करें। इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का लेखा–जोखा रजिस्टर संधारित करने से, समीक्षा की सहूलियत रहेगी, साथ ही कार्यालय द्वारा अपीलों के जवाब आदि में भी अवांछित विलम्ब से बचा जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित जिला कलेक्टर सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दु में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों को आयोग द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति की राशि, स्वतः शीघ्र जमा कराया जाना एवं अधिरोपित शास्ति राशि सम्बन्धित दोषी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर आयोग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2023 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023) तक

प्रपत्र—क

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2023 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	631	575	40	10	6	9090
2	समेकित बाल विकास विभाग	488	450	17	11	10	8676
3	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2736	2161	269	181	125	85050
4	आयुर्वेद विभाग	1110	833	221	26	30	29503
5	गृह विभाग	58518	53922	129	2999	1468	1207684
6	वित्त विभाग	10281	9445	387	45	404	333582
7	पर्यावरण विभाग	35	30	0	4	1	435
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	563	563	0	0	0	7810
9	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	312	246	61	2	3	6423
10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	8569	5730	1593	0	1246	646533
11	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	16	16	0	0	0	1370
12	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	582	573	6	3	0	6024
13	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	207	207	0	0	0	9164
14	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	82	82	0	0	0	1070
15	आयोजना विभाग	481	382	78	15	6	4282
16	एच.सी.एम. रीपा	23	23	0	0	0	428
17	विधि एवं विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	242	117	10	111	4	1170
18	ऊर्जा विभाग	10321	8471	785	47	1018	100803
19	जल संसाधन विभाग	955	860	49	35	11	47254
20	तकनीकी शिक्षा विभाग	551	491	55	0	5	8580
21	राजभवन, जयपुर	406	406	0	0	0	4448
22	सामान्य प्रशासन विभाग	760	738	5	8	9	12620
23	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	2688	2201	208	20	259	34646
24	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	108	48	46	1	13	834

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2023 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
25	सहकारिता विभाग	3610	3462	50	85	13	183188
26	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	1754	1686	13	44	11	67175
27	कृषि विभाग	2056	1696	304	20	36	61046
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2674	2495	70	19	90	108530
29	आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग	55	53	2	0	0	622
30	नगर निगम, जयपुर	3437	2768	364	34	271	73668
31	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	1103	1053	26	21	3	20825
32	पर्यटन विभाग	178	117	61	0	0	3515
33	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1019	952	37	26	4	10243
34	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	1075	992	5	76	2	14248
35	उच्च शिक्षा विभाग	1371	1232	115	16	8	33100
36	देवस्थान विभाग	954	931	11	5	7	94759
37	वन विभाग	2106	1714	177	97	118	65607
38	निर्वाचन विभाग	1888	1649	77	74	88	30672
39	राजस्थान राज्य महिला आयोग	89	89	0	0	0	4189
40	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	35	35	0	0	0	204
41	कार्मिक विभाग	977	975	1	1	0	46445
42	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	1751	1315	204	98	134	136460
43	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1901	1488	295	33	85	23721
44	परिवहन विभाग	2098	1931	104	22	41	39406
45	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	285	271	0	12	2	10776
46	स्वायत्त शासन विभाग	15625	11145	1683	885	1912	505524
47	पशुपालन विभाग	280	152	53	34	41	11437
48	कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	211	200	0	8	3	10055
49	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	1	1	0	0	0	0
50	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	215	203	7	5	0	2097
51	युवा मामले एवं खेल विभाग	80	67	13	0	0	790
52	लोकायुक्त सचिवालय	432	432	0	0	0	28132

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2023 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
53	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	841	786	1	54	0	7925
54	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	708	539	130	26	13	20113
55	उपनिवेशन विभाग	309	270	12	16	11	4227
56	सैनिक कल्याण विभाग	128	128	0	0	0	2834
57	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	117	117	0	0	0	625
58	उद्योग विभाग	1933	1727	123	37	46	212137
59	संस्कृत शिक्षा विभाग	229	184	12	3	30	2852
60	शिक्षा विभाग	11027	9028	1057	617	325	144431
61	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	268	261	0	6	1	5695
62	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3	2	1	0	0	30
63	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	31	31	0	0	0	3928
64	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	929	885	20	13	11	13016
65	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	7185	5625	830	588	142	138903
66	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	12834	11700	692	251	191	199779
67	राजस्व विभाग	887	883	0	4	0	19719
68	नगरीय विकास विभाग(स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	14952	10817	2145	212	1778	889013
69	उपभोक्ता मामले विभाग	146	106	33	7	0	1326
70	भू–जल विभाग	43	40	0	3	0	1109
71	राजस्थान विधान सभा सचिवालय	87	69	4	14	0	1604
72	बाल अधिकारिता विभाग	76	55	21	0	0	630
73	राजकीय उपक्रम विभाग	4	4	0	0	0	150
74	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान	57	34	1	22	0	490
75	ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण	2	2	0	0	0	20
76	संभागीय आयुक्त जयपुर	212	203	0	9	0	29210
77	संभागीय आयुक्त जोधपुर	101	101	0	0	0	2696
78	संभागीय आयुक्त भरतपुर	40	30	10	0	0	790
79	संभागीय आयुक्त कोटा	35	22	0	13	0	580
80	संभागीय आयुक्त अजमेर	118	99	3	14	2	1611

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2023 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
81	संभागीय आयुक्त सीकर	7	7	0	0	0	100
82	संभागीय आयुक्त बांसवाडा	0	0	0	0	0	0
83	संभागीय आयुक्त उदयपुर	79	78	1	0	0	2024
84	जिला कलक्टर अलवर	774	721	17	29	7	8443
85	जिला कलक्टर अजमेर	504	485	19	0	0	5371
86	जिला कलक्टर भरतपुर	339	338	0	1	0	2320
87	जिला कलक्टर बीकानेर	520	480	40	0	0	8018
88	जिला कलक्टर बांसवाडा	252	222	6	17	7	5290
89	जिला कलक्टर बाडमेर	702	588	50	63	1	21166
90	जिला कलक्टर बांरा	171	165	5	1	0	3562
91	जिला कलक्टर बूंदी	259	227	21	0	11	2700
92	जिला कलक्टर चित्तौडगढ	270	252	18	0	0	2510
93	जिला कलक्टर चुरू	365	316	39	1	9	4630
94	जिला कलक्टर दौसा	218	65	36	46	71	4302
95	जिला कलक्टर धौलपुर	106	93	0	13	0	2166
96	जिला कलक्टर डूंगरपुर	1101	983	14	29	75	25447
97	जिला कलक्टर हनुमानगढ	419	348	4	57	10	3346
98	जिला कलक्टर जैसलमेर	257	212	20	18	7	2570
99	जिला कलक्टर झालावाड	227	213	1	10	3	3256
100	जिला कलक्टर झुन्झुनू	813	799	2	8	4	8980
101	जिला कलक्टर कोटा	288	270	18	0	0	2700
102	जिला कलक्टर करौली	398	333	34	16	15	3044
103	जिला कलक्टर नागौर	849	779	16	38	16	22100
104	जिला कलक्टर प्रतापगढ	486	471	0	4	11	8965
105	जिला कलक्टर राजसमन्द	541	480	27	24	10	16225
106	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	404	389	6	9	0	4367
107	जिला कलक्टर सीकर	641	633	3	1	4	7960
108	जिला कलक्टर सिरोही	235	182	13	17	23	2670

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2023 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
109	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर	510	371	74	57	8	5965
110	जिला कलक्टर टोंक	424	419	5	0	0	2628
111	जिला कलक्टर उदयपुर	808	712	36	11	49	17676
112	जिला कलक्टर अनूपगढ	139	132	0	6	1	1355
113	जिला कलक्टर बालोतरा	132	117	3	6	6	1722
114	जिला कलक्टर ब्यावर	354	353	0	0	1	4920
115	जिला कलक्टर केकडी	133	133	0	0	0	1330
116	जिला कलक्टर डीग	75	73	0	2	0	1140
117	जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	300	275	9	14	2	4745
118	जिला कलक्टर दूदू	57	55	0	0	2	1964
119	जिला कलक्टर गंगापुरसिटी	243	242	0	1	0	2700
120	जिला कलक्टर खैरथल–तिजरा	122	121	0	0	1	780
121	जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	232	229	3	0	0	1990
122	जिला कलक्टर नीमकाथाना	303	280	7	9	7	1590
123	जिला कलक्टर सलूम्बर	45	45	0	0	0	584
124	जिला कलक्टर शाहपुरा	89	81	0	2	6	790
125	जिला कलक्टर फलौदी	439	382	7	6	44	9030
126	जिला कलक्टर पाली	498	422	57	2	17	6001
		217355	185993	13337	7560	10465	6110498

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण वर्ष 2023 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023)

प्रपत्र –ख

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	148	117	26	5
2	समेकित बाल विकास विभाग	87	80	6	1
3	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	455	318	100	37
4	आयुर्वेद विभाग	160	122	38	0
5	गृह विभाग	3489	1013	2322	154
6	वित्त विभाग	2024	1551	189	284
7	पर्यावरण विभाग	2	2	0	0
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	28	24	0	4
9	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	12	6	6	0
10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1343	527	645	171
11	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	2	2	0	0
12	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	91	16	63	12
13	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	20	20	0	0
14	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	3	0	3	0
15	आयोजना विभाग	77	50	26	1
16	एच.सी.एम. रीपा	0	0	0	0
17	विधि एवं विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	30	4	25	1
18	ऊर्जा विभाग	1593	1242	123	228
19	जल संसाधन विभाग	122	102	18	2
20	तकनीकी शिक्षा विभाग	94	93	0	1
21	राजभवन, जयपुर	91	4	87	0
22	सामान्य प्रशासन विभाग	108	93	2	13
23	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	374	128	120	126
24	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	24	24	0	0
25	सहकारिता विभाग	243	241	1	1

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
26	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	252	77	160	15
27	कृषि विभाग	224	94	109	21
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग	279	266	12	1
29	आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग	7	6	1	0
30	नगर निगम, जयपुर	695	364	185	146
31	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	203	134	52	17
32	पर्यटन विभाग	39	38	1	0
33	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	134	106	28	0
34	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	418	398	14	6
35	उच्च शिक्षा विभाग	316	316	0	0
36	देवस्थान विभाग	84	35	49	0
37	वन विभाग	300	264	35	1
38	निर्वाचन विभाग	225	151	60	14
39	राजस्थान राज्य महिला आयोग	2	0	2	0
40	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	5	5	0	0
41	कार्मिक विभाग	113	113	0	0
42	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	190	129	25	36
43	चिकित्सा शिक्षा विभाग	322	312	9	1
44	परिवहन विभाग	263	247	16	0
45	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	14	9	2	3
46	स्वायत्त शासन विभाग	2337	1417	599	321
47	पशुपालन विभाग	43	16	27	0
48	कृषि सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	8	5	3	0
49	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	0	0	0	0
50	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	82	74	0	8
51	युवा मामले एवं खेल विभाग	14	14	0	0
52	लोकायुक्त सचिवालय	31	2	29	0
53	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	69	69	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
54	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	65	53	0	12
55	उपनिवेशन विभाग	48	1	41	6
56	सैनिक कल्याण विभाग	16	16	0	0
57	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	14	14	0	0
58	उद्योग विभाग	186	123	34	29
59	संस्कृत शिक्षा विभाग	47	13	28	6
60	शिक्षा विभाग	2637	2146	372	119
61	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	10	6	1	3
62	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1	0	0	1
63	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	4	4	0	0
64	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	163	103	60	0
65	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	359	264	95	0
66	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	1532	1270	193	69
67	राजस्व विभाग	157	150	7	0
68	नगरीय विकास विभाग(स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	1819	929	705	185
69	उपभोक्ता मामले विभाग	6	5	1	0
70	भू–जल विभाग	2	1	1	0
71	राजस्थान विधान सभा सचिवालय	14	0	14	0
72	बाल अधिकारिता विभाग	11	11	0	0
73	राजकीय उपक्रम विभाग	0	0	0	0
74	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान	24	9	15	0
75	ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण	0	0	0	0
76	संभागीय आयुक्त जयपुर	34	0	29	5
77	संभागीय आयुक्त जोधपुर	5	5	0	0
78	संभागीय आयुक्त भरतपुर	0	0	0	0
79	संभागीय आयुक्त कोटा	1	0	1	0
80	संभागीय आयुक्त अजमेर	12	2	8	2
81	संभागीय आयुक्त सीकर	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
82	संभागीय आयुक्त बांसवाडा	0	0	0	0
83	संभागीय आयुक्त उदयपुर	1	0	1	0
84	जिला कलक्टर अलवर	223	121	91	11
85	जिला कलक्टर अजमेर	111	35	76	0
86	जिला कलक्टर भरतपुर	85	17	61	7
87	जिला कलक्टर बीकानेर	156	71	53	32
88	जिला कलक्टर बांसवाडा	39	7	32	0
89	जिला कलक्टर बाडमेर	225	25	193	7
90	जिला कलक्टर बांरा	32	1	28	3
91	जिला कलक्टर बूंदी	82	8	53	21
92	जिला कलक्टर चित्तौडगढ	87	36	47	4
93	जिला कलक्टर चुरू	27	9	0	18
94	जिला कलक्टर दौसा	93	43	43	7
95	जिला कलक्टर धौलपुर	3	1	2	0
96	जिला कलक्टर डूंगरपुर	52	38	11	3
97	जिला कलक्टर हनुमानगढ	64	23	40	1
98	जिला कलक्टर जैसलमेर	0	0	0	0
99	जिला कलक्टर झालावाड	15	3	10	2
100	जिला कलक्टर झुन्झुनू	150	54	92	4
101	जिला कलक्टर कोटा	28	24	1	3
102	जिला कलक्टर करौली	83	2	49	32
103	जिला कलक्टर नागौर	160	89	71	0
104	जिला कलक्टर प्रतापगढ	39	32	4	3
105	जिला कलक्टर राजसमन्द	73	43	23	7
106	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	83	32	45	6
107	जिला कलक्टर सीकर	86	81	3	2
108	जिला कलक्टर सिरोही	67	31	36	0
109	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर	163	42	69	52
110	जिला कलक्टर टोंक	43	9	30	4

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
111	जिला कलक्टर उदयपुर	153	55	90	8
112	जिला कलक्टर अनूपगढ	36	20	4	12
113	जिला कलक्टर बालोतरा	8	0	8	0
114	जिला कलक्टर ब्यावर	28	11	4	13
115	जिला कलक्टर केकडी	12	8	2	2
116	जिला कलक्टर डीग	8	3	5	0
117	जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	23	2	7	14
118	जिला कलक्टर दूदू	9	6	0	3
119	जिला कलक्टर गंगापुरसिटी	12	2	1	9
120	जिला कलक्टर खैरथल–तिजरा	15	12	3	0
121	जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	16	16	0	0
122	जिला कलक्टर नीमकाथाना	23	20	2	1
123	जिला कलक्टर सलूम्बर	6	3	3	0
124	जिला कलक्टर शाहपुरा	2	0	0	2
125	जिला कलक्टर फलौदी	6	0	0	6
126	जिला कलक्टर पाली	13	0	13	0
		27096	16600	8129	2367

विभाग/लोक प्रधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2023 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023) में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

प्रपत्र –ग

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	0	0	0	0
2	समेकित बाल विकास विभाग	0	0	0	0
3	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	0	0	0	0
4	आयुर्वेद विभाग	0	0	0	0
5	गृह विभाग	0	0	0	0
6	वित्त विभाग	0	0	0	0
7	पर्यावरण विभाग	0	0	0	0
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	0	0	0	0
9	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	0	0	0	0
10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	0	0	0	0
11	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	0	0	0	0
12	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	0	0	0	0
13	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	0	0	0	0
14	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	0	0	0	0
15	आयोजना विभाग	0	0	0	0
16	एच.सी.एम. रीपा	0	0	0	0
17	विधि एवं विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0
18	ऊर्जा विभाग	0	0	0	0
19	जल संसाधन विभाग	0	0	0	0
20	तकनीकी शिक्षा विभाग	0	0	0	0
21	राजभवन, जयपुर	0	0	0	0
22	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	0	0
23	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	0	0	0	0
24	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	0	0	0	0
25	सहकारिता विभाग	0	0	0	0
26	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	0	0	0	0
27	कृषि विभाग	0	0	0	0
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग	0	0	0	0
29	आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग	0	0	0	0
30	नगर निगम, जयपुर	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
31	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	0	0	0	0
32	पर्यटन विभाग	0	0	0	0
33	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	0	0	0	0
34	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	0	0	0	0
35	उच्च शिक्षा विभाग	0	0	0	0
36	देवस्थान विभाग	0	0	0	0
37	वन विभाग	0	0	0	0
38	निर्वाचन विभाग	0	0	0	0
39	राजस्थान राज्य महिला आयोग	0	0	0	0
40	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0
41	कार्मिक विभाग	0	0	0	0
42	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	0	0	0	0
43	चिकित्सा शिक्षा विभाग	0	0	0	0
44	परिवहन विभाग	0	0	0	0
45	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	0	0	0	0
46	स्वायत्त शासन विभाग	0	0	0	0
47	पशुपालन विभाग	0	0	0	0
48	कृषि सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	0	0	0	0
49	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	0	0	0	0
50	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	0	0	0	0
51	युवा मामले एवं खेल विभाग	0	0	0	0
52	लोकायुक्त सचिवालय	0	0	0	0
53	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	0	0	0	0
54	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	0	0	0	0
55	उपनिवेशन विभाग	0	0	0	0
56	सैनिक कल्याण विभाग	0	0	0	0
57	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	0	0	0	0
58	उद्योग विभाग	0	0	0	0
59	संस्कृत शिक्षा विभाग	0	0	0	0
60	शिक्षा विभाग	0	0	0	0
61	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	0	0	0	0
62	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0
63	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
64	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	0	0	0	0
65	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	श्री सतवीर जाखड़	ग्राम विकास अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) ग्राम पंचायत मीरण, पंचायत समिति–नेछवा, जिला–सीकर राजस्थान	राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियमत्र, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही	
66	राजस्व विभाग	0	0	0	0
67	नगरीय विकास विभाग(स्वायत शासन विभाग को छोडकर)	0	0	0	0
68	उपभोक्ता मामले विभाग	0	0	0	0
69	भू–जल विभाग	0	0	0	0
70	राजस्थान विधान सभा सचिवालय	0	0	0	0
71	बाल अधिकारिता विभाग	0	0	0	0
72	राजकीय उपक्रम विभाग	0	0	0	0
73	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान	0	0	0	0
74	ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण	0	0	0	0
75	संभागीय आयुक्त जयपुर	0	0	0	0
76	संभागीय आयुक्त जोधपुर	0	0	0	0
77	संभागीय आयुक्त भरतपुर	0	0	0	0
78	संभागीय आयुक्त कोटा	0	0	0	0
79	संभागीय आयुक्त अजमेर	0	0	0	0
80	संभागीय आयुक्त सीकर	0	0	0	0
81	संभागीय आयुक्त बांसवाडा	0	0	0	0
82	संभागीय आयुक्त उदयपुर	0	0	0	0
83	जिला कलक्टर अलवर	0	0	0	0
84	जिला कलक्टर अजमेर	0	0	0	0
85	जिला कलक्टर भरतपुर	0	0	0	0
86	जिला कलक्टर बीकानेर	0	0	0	0
87	जिला कलक्टर बांसवाडा	0	0	0	0
88	जिला कलक्टर बाडमेर	0	0	0	0
89	जिला कलक्टर बांरा	0	0	0	0
90	जिला कलक्टर बूंदी	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
91	जिला कलक्टर चित्तौडगढ	0	0	0	0
92	जिला कलक्टर चुरू	0	0	0	0
93	जिला कलक्टर दौसा	0	0	0	0
94	जिला कलक्टर धौलपुर	0	0	0	0
95	जिला कलक्टर डूंगरपुर	0	0	0	0
96	जिला कलक्टर हनुमानगढ	0	0	0	0
97	जिला कलक्टर जैसलमेर	0	0	0	0
98	जिला कलक्टर झालावाड	0	0	0	0
99	जिला कलक्टर झुन्झुनू	0	0	0	0
100	जिला कलक्टर कोटा	0	0	0	0
101	जिला कलक्टर करौली	0	0	0	0
102	जिला कलक्टर नागौर	0	0	0	0
103	जिला कलक्टर प्रतापगढ	0	0	0	0
104	जिला कलक्टर राजसमन्द	0	0	0	0
105	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	0	0	0	0
106	जिला कलक्टर सीकर	0	0	0	0
107	जिला कलक्टर सिरोही	0	0	0	0
108	जिला कलक्टर टोंक	0	0	0	0
109	जिला कलक्टर उदयपुर	0	0	0	0
110	जिला कलक्टर अनूपगढ	0	0	0	0
111	जिला कलक्टर बालोतरा	0	0	0	0
112	जिला कलक्टर ब्यावर	0	0	0	0
113	जिला कलक्टर केकडी	0	0	0	0
114	जिला कलक्टर डीग	0	0	0	0
115	जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	0	0	0	0
116	जिला कलक्टर दूदू	0	0	0	0
117	जिला कलक्टर गंगापुरसिटी	0	0	0	0
118	जिला कलक्टर खैरथल–तिजरा	0	0	0	0
119	जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	0	0	0	0
120	जिला कलक्टर नीमकाथाना	0	0	0	0
121	जिला कलक्टर सलूम्बर	0	0	0	0
122	जिला कलक्टर शाहपुरा	0	0	0	0
123	जिला कलक्टर फलौदी	0	0	0	0
124	जिला कलक्टर पाली	0	0	0	0

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है
सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण
वर्ष 2023 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023) तक

प्रपत्र –घ

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2023 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	संभागीय आयुक्त बीकानेर						
2	संभागीय आयुक्त पाली						
3	जिला कलक्टर भीलवाडा						
4	जिला कलक्टर जयपुर						
5	जिला कलक्टर जोधपुर						
6	जिला कलक्टर जालोर						
7	जिला कलक्टर जयपुर–ग्रामीण						
8	जिला कलक्टर जोधपुर–ग्रामीण						
9	जिला कलक्टर सांचौर						

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण वर्ष 2023 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023)

प्रपत्र –ड

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	कुल प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	संभागीय आयुक्त बीकानेर				
2	संभागीय आयुक्त पाली				
3	जिला कलक्टर भीलवाडा				
4	जिला कलक्टर जयपुर				
5	जिला कलक्टर जोधपुर				
6	जिला कलक्टर जालोर				
7	जिला कलक्टर जयपुर–ग्रामीण				
8	जिला कलक्टर जोधपुर–ग्रामीण				
9	जिला कलक्टर सांचौर				

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है विभाग/लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2023 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023) में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

प्रपत्र –च

क्र. सं.	**विभाग/लोक प्राधिकरण**	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
2	संभागीय आयुक्त बीकानेर				
3	संभागीय आयुक्त पाली				
4	जिला कलक्टर भीलवाडा				
5	जिला कलक्टर जयपुर				
6	जिला कलक्टर जोधपुर				
7	जिला कलक्टर जालोर				
8	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर				
9	जिला कलक्टर जयपुर–ग्रामीण				
10	जिला कलक्टर जोधपुर–ग्रामीण				
11	जिला कलक्टर सांचौर				

यथेमां वाचं कल्याणीम् - आवदानि जनेभ्यः

(यजुर्वेद)

अर्थात्

यह जानकारी मैं जन-जन को दूँगा

क्योंकि यही हितकारी होगा।

समोऽतं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः

श्रीमद्भगवतगीता

अर्थात्

मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।

मैं सभी के लिये समभाव हूँ।

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

मुद्रक : राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर